IN THE COURT OF-	ECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 J.M.F.C., Gohad, DIST-, Bhind (M.P)
Case No	Complaint or report madeon
Name and address of the Complainar	nt
१० केट जुला	nt. 77. 9 94.88 91.4
The second second	U A
Name . n	parentage, caste and address of accused
	Additional and address of accused
(1) 2ho1510	2005 210 als 05
Ø -1,	
	311821
The offence, com	plainant of, and date of, its alleged commission
ं आप पर आरे	ोप है कि दिनांक 19-1-12 मुकाम १
्रिट कर्राट मुठ	25
में आम रोड पर	करते हुये मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे
1 511 (16 4)	करत हुय माग म अवरोध उत्पन्न कर रहे थे
जो कि धारा 34-3 पुलिस अधिनियम	
क्या आपको उ	उक्त अपराध रवीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
	ζ_1
	३० कर्म श्रीता
The plea of	the accused and his examination (if any) यापिक प्राप्त प्राप्त
-A-A	मोबर जिला खिएस पाए
(a)101(95	
>	
O TOT	
-24121.	रस्तिर गप्ता
	गायिक मजिल्टेट प्रथम अ
The offence proved. If any and in case	under clasue(d) clasuse(f) clasus()

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of

//निर्णय// (आज दिनांक २५५३// को घोषित)

01. अभियुक्त के विरूद्ध धारा34.532 पुलिस अधिनियम के तह
समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वव
जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के
आधार पर धारा 34—3 पुलिस अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।
03. अभियुक्त को धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत रूपये 🧢 शब्दों में
च्या । रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये
जाने पर का साधारण कारावास की सज़ा भुगतायी जावे।
04. जप्तषुदा सम्पत्ति कुछ नहीं ।

मेरे तिर्देशन पर टंकित

गायिक गींजिएट प्रथम अणी